

जीसियो नियम फार्मूला एफ टी कार्ड का प्रारूप

1. रूपया नोट का चलन बन्द होकर । रूपया नोट की जगह । एफ टी कार्ड । यानी फार्नर यात्रा । कार्ड का चलन होगा ।
2. एफ टी कार्ड एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस होगा । जो आसानी से जेब रखा जा सके ।
3. एफ टी कार्ड को । गले में धागे के साथ पहनना अनिवार्य है ।
4. एफ टी कार्ड में । ज्यादा मेमोरी डेटा होगा । शुरुवात कम से कम 10 जी बी से होगी । जरूरत पडने पर और बढ़ाई जायेगी ।
5. एफ टी कार्ड में । वर्ष । महीना । दिन । घन्टा । मिनट । सेकेन्ड । अनवरत चालू रहेंगे ।
6. एफ टी कार्ड में कैमरा होगा। जो किसी वस्तु के खरीदी के समय । जरूरत पडने पर । फोटो ली जा सके ।
7. एफ टी कार्ड । इंटरनेट व्दारा संचालित होगा ।
8. हर एफ टी कार्ड का । अलग अलग नं होगा । जैसा मोबाइल का होता है ।
9. हर एफ टी कार्ड में । एफ टी कार्ड धारक का फोटो । डिस्प्ले पर रहेगा ।
10. एफ टी कार्ड क्षेत्र के अनुसार । अलग अलग भाषाओं में होंगे ।
11. एफ टी कार्ड में जमा हुई । कोई भी जानकारी अमिट होगी । उसे मिटाया नहीं जा सकता । उसमें डिलीट । य इरेजर । का कोई बटन नहीं होगा । एफ टी कार्ड नस्ट होने पर भी । इंटरनेट पर सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी ।
12. जो भारत सरकार के । अधिकार में होगा । सरकार से आग्रह करके । दूसरा एफ टी कार्ड बनाया जा सकता है ।
13. एफ टी कार्ड में मोबाइल जैसा डिस्प्ले होगा । और मोबाइल जैसे बटन होंगे । जिसमें एफ टी कार्ड धारक । अपनी जमा धनराशी चेक कर सकता है । अपनी पुरानी अन्य जानकारी पढ सकता है । संदेश भेज सकता है । संदेश पढ सकता है ।
14. एफ टी कार्ड में । सिर्फ + धन का बटन होगा - माइनस का बटन नहीं होगा ।
15. एफ टी कार्ड । बिना धन देने की वजह बताये । सिर्फ धन अंक अंकित नहीं करेगा ।
16. एफ टी कार्ड आने से । नगद धन हांथ से हांथ धन । देने की । सुविधा बन्द हो जाएगी ।
17. एफ टी कार्ड में । एक्स कार्ड का खर्चा अंकित होगा ।
18. एफ टी कार्ड में । विदेशी व्यक्ति की । खर्चा निकासी का व्योरा जमा होगा ।
19. यात्री एफ टी कार्ड से ही । वस्तुएं और सेवाये खरीदेगा ।

एफ टी यानी विदेशी यात्री कार्ड की विशेषताएं

जीसियो नियम फार्मूला एफ टी कार्ड यानी विदेशी यात्री कार्ड

1. कोई भी विदेशी नागरिक । एफ टी कार्ड के बिना । भारत की पवित्र धरती पर । कदम नहीं रख सकते ।
2. विदेशी नागरिक के लिए एफ टी कार्ड । भारत का विदेश मंत्रालय । य विदेशों में बैठे । भारतीय राजदूत ही दे सकते हैं ।
3. भारत की एकता और अखण्डता को ध्यान में रखते हुए । किस विदेशी नागरिक को । एफ टी कार्ड देना है । किसे नहीं देना है । यह भारत सरकार के अधिकार में होगा ।
4. विदेशी नागरिक को । अति सक्रिय एफ टी कार्ड मिलेगा ।
5. विदेशी नागरिक द्वारा । विदेश से लाया गया । धन और सामान । एफ टी कार्ड में अंकित करना अनिवार्य है ।
6. विदेशी नागरिक के एफ टी कार्ड में । साउन्ड रिकार्डर सिस्टम होगा । जो विदेशी नागरिक की हर बात को रिकार्ड करेगा ।
7. विदेशी नागरिक का संवाद । एफ टी कार्ड में रिकार्ड होगा । जिस पर । भारत सरकार नजर रहेगी ।
8. विदेशी नागरिक जिससे बात करेगा । उसका कार्ड नं । विदेशी नागरिक के एफ टी कार्ड में । अंकित हो जायेगा ।
9. जन्म जात बच्चे से लेकर । हर विदेशी नागरिक का भारत यात्रा के लिए । एफ टी कार्ड अनिवार्य है
10. विदेशी नागरिक के एफ टी कार्ड में । भारत में रहने की अवधि तय होगी । तय अवधि से अधिक विदेशी नागरिक भारत में नहीं रह सकता ।
11. अवधि समाप्त होने पर । विदेशी नागरिक । भारत में नहीं रह सकता । यदि वह नियम तोड़ता है । तो विदेशी नागरिक को जेल जाना पड़ेगा ।
12. विदेशी नागरिक द्वारा । विदेश से लाया हुआ । कोई भी चोरी का सामान । भारत में नहीं बेच सकता ।
13. सामान । यदि विदेशी नागरिक के एफ टी कार्ड में अंकित है । और सामान बेचने के उद्देश्य से भारत आया है ।
14. य व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आया है । तो एफ टी कार्ड अंकित वह सामान बेच सकता है । भारत से खरीदा हुआ सामान भी । भारत में बेच सकता है ।
15. विदेशी नागरिक । एफ टी कार्ड से ही । वस्तुएँ । और सेवाये खरीदेगा ।
16. विदेशी नागरिक । एफ टी कार्ड को । कला क्षेत्र । अभिनय क्षेत्र । खेल क्षेत्र । में उपयोग कर सकता है ।

17. विदेशी नागरिक जो भारत आते हैं । वो भारत में आकर आसानी से । अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं । यह समस्या को जड़ से समाप्त हो जाएगी ।
18. पड़ोसी मुल्कों के आतंकवादी । अपने नापाक इरादों में । कामयाब नहीं हो सकते ।
19. भारत की एकता और अखण्डता को कोई खतरा होगा ।

भारत का धन

1. एफ टी कार्ड से । भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । लेन देन । भारत की सीमा के अंदर । भारतीय नागरिक से । भारत के किसी भी कार्ड से ही । लेन देन किया जा सकता है ।
2. एफ टी कार्ड से । भारत का धन को । भारत के बाहर । विदेश के । किसी भी कार्ड से । लेन देन नहीं । किया जा सकता है ।
3. एफ टी कार्ड से । भारत का धन । भारत के सीमा के बाहर । नहीं भेजा जा सकता ।
4. एफ टी कार्ड से । भारत का धन । भारत के सीमा के बाहर । विदेश के । किसी भी बैंक में । नहीं जमा । किया जा सकता ।
5. एफ टी कार्ड से । भारत का धन । भारत की सीमा के बाहर । धन भेजने के लिए । एफ टी कार्ड से । अंकित वैध धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । उस देश में । चलित नोट रूपया ही । भेजे जा सकते हैं ।

विदेश का धन

1. एफ टी कार्ड में । विदेश का धन । भारत की सीमा के । बाहर का धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में । जमा करके । धन को । एफ टी कार्ड में । अंकित कराना होगा ।
2. एफ टी कार्ड में । विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे । भारत के एफ टी कार्ड में । अंकित । जमा नहीं होगा ।
3. एफ टी कार्ड में । विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । धन को एफ टी कार्ड में । अंकित । जमा कराना होगा ।

एफ टी कार्ड अंकित पुरुष जेवर नग

1. विदेशी पुरुष के एफ टी कार्ड में । जेवर के फोटो और कोड नं के साथ । अंकित जेवर नग । 5 तोला सोना । 10 तोला चांदी । और 1 लाख के नग । से ज्यादा अंकित नहीं होगा । इतना ही वैध होगा । इससे अधिक होने पर उस पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।

स्त्री के एफ टी कार्ड अंकित जेवर य नग

जीसियो नियम फार्मूला एफ टी कार्ड यानी विदेशी यात्री कार्ड

1. विदेशी स्त्री के एफ टी कार्ड में । जेवर के फोटो और कोड नं के साथ । अंकित जेवर नग । 10 तोला सोना । 500 ग्राम चांदी । और 2 लाख के नग । से ज्यादा अंकित नहीं होगा । इतना ही वैध होगा । इससे अधिक होने पर उस पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।

विदेशी लडका

2. विदेशी लडके के एफ टी कार्ड में । जेवर के फोटो और कोड नं के साथ । अंकित जेवर नग । 5 तोला सोना । 10 तोला चांदी । और 1 लाख के नग । से ज्यादा अंकित नहीं होगा । इतना ही वैध होगा । इससे अधिक होने पर उस पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।

विदेशी लडकी

1. विदेशी लडकी के एफ टी कार्ड में । जेवर के फोटो और कोड नं के साथ । अंकित जेवर नग । 10 तोला सोना । 500 ग्राम चांदी । और 2 लाख के नग । से ज्यादा अंकित नहीं होगा । इतना ही वैध होगा । इससे अधिक होने पर उस पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।

जीसियो नियम फार्मूला अधिक अवैध जेवर नग

1. अगर किसी भी । स्त्री य पुरुष य बच्चे के पास । जीसियो नियम अधिकृत । जेवर नग से । अधिक । जेवर नग पाये जाते हैं ।
2. तो उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे के । अवैध । जेवर य नग को । भारत सरकार जप्त करेगी ।
3. और जीसियो नियम अधिकृत । जेवर नग को भी । भारत सरकार जप्त करेगी ।
4. तथा उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । आजीवन । जेवर य नग पहनने के अधिकार से । वंचित रखा जायेगा ।
5. और उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । आजीवन । जेवर य नग पहनना अवैध होगा ।
6. तथा उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे के । पी कार्ड में । आजीवन । जेवर य नग अंकित नहीं होंगे ।
7. और यदि । पी कार्ड में आजीवन । जेवर य नग अंकित बैन । होने पर भी । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । जेवर य नग । उपयोग करते पकड़ा जायेगा ।
8. तो उस । अवैध । जेवर य नग को भी । भारत सरकार जप्त करेगी ।
9. तथा उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । कम से कम । 6 महीने की । कठिन कारावास होगी ।
10. 6 महीने की । कठिन कारावास से । बाहर निकलने के बाद भी ।
11. उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे के । पी कार्ड में । आजीवन । जेवर य नग अंकित नहीं होंगे ।
12. किसी भी । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । जितनी बार । अवैध जेवर य नग । उपयोग करते पकड़ा जायेगा ।
13. उतनी बार । उस । अवैध जेवर य नग को । भारत सरकार जप्त करेगी ।
14. और उतनी बार । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । कम से कम 6 महीने की कठिन कारावास होगी ।

15. और कभी भी । 6 महीने की कठिन कारावास से । बाहर निकलने के बाद भी ।
16. उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे के । पी कार्ड में आजीवन । जेवर य नग अंकित नहीं होंगे ।
17. और इस अपराध की । आजीवन माफी नहीं मिलेगी ।
18. हर बार । अवैध जेवर य नग । उपयोग करने पर ।
19. अवैध जेवर य नग को । भारत सरकार जप्त करेगी ।
20. और उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । 6 महीने की कठिन कारावास होगी ।
21. और पी कार्ड में । आजीवन । जेवर य नग अंकित नहीं होंगे ।

एफ टी कार्ड अंकित वाहन

1. विदेशी पुरुष को एफ टी कार्ड अंकित । 1 वाहन से अधिक नहीं रख सकता ।
2. एफ टी कार्ड धारक विदेशी स्त्री यदि अकेली बिना पती के है । तो एफ टी कार्ड अंकित 1 वाहन से अधिक नहीं रख सकती ।

एफ टी कार्ड से जन कल्याण दान देने के नियम

1. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत देश हित में खर्चा कर सकता है । य भारत सरकार के एन कार्ड में दान कर सकता है ।
2. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में जन कल्याण में खर्चा कर सकता है । कुँवा । तालाब । बावडी । प्याऊ । पेड । पुस्तक य अखबार वाचनालय । सडकों य सार्वजनिक स्थलों पर छाया दार कुर्सियां । य सार्वजनिक खेल समारोहों का आयोजन । आदि अन्य जन कल्याण में खर्चा कर सकता है ।
3. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में सार्वजनिक लडकियों की । शादी का समारोह । आयोजित कर सकता है ।
4. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में सार्वजनिक । भोजन समारोह में । खाना खिला सकता है ।
5. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में भूकंप । बाढ । सुनामी । जैसी य अन्य आपदाओं पर खर्चा कर सकता है ।
6. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में किसी भी धर्म के । धार्मिक कार्य का । आयोजन कर सकता है ।
7. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में किसी भी । धार्मिक स्थल में । दान कर सकता है ।
8. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में किसी भी । मरीज के दवाई । य इलाज पर खर्चा कर सकता है ।

9. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में मरीज ब्यक्ति की धन से । मदद कर सकता है ।
10. विदेश का कोई भी नागरिक । एफ टी कार्ड से । भारत में मरीज ब्यक्ति को दान के तौर पर । धन दे सकता है । य इलाज का पूरा खर्चा उठा सकता है ।

एफ टी कार्ड से मरीज ब्यक्ति को दान देने के नियम

1. दान कर्ता य मदद कर्ता । अपने एफ टी कार्ड से । दान य मदद धन । मरीज ब्यक्ति के पी कार्ड में ही । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।
2. मरीज ब्यक्ति । अपने पी कार्ड से । डॉक्टर के यू कार्ड में । मरीज सेवा धन । य दवाइयों का खर्चा आदि । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।
3. दान कर्ता य मदद कर्ता । अपने एफ टी कार्ड से । सीधे सीधे डॉक्टर के यू कार्ड में । मरीज सेवा धन । य दवाइयों का खर्चा आदि । नहीं जमा कर सकता ।
4. दान कर्ता य मदद कर्ता । जरूरत मंद ब्यक्ति के सिर्फ पी कार्ड में ही । मदद धन हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है । किसी अन्य कार्ड में नहीं हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।

एफ टी कार्ड से जेल में बंद व्यक्ति को दान देने के नियम

1. विदेशी मदद कर्ता । अपने एफ टी कार्ड से । दान । य मदद धन । जेल में बंद ब्यक्ति के । उसी कार्ड में ही हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है । जिस कार्ड का कर्जा है ।
2. जेल में बंद ब्यक्ति । अपने उसी कार्ड से । बैंक का धन ब्याज के साथ । बैंक के । बी य एन कार्ड में ही जमा करेगा ।
3. विदेशी मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । सीधे सीधे में । बैंक का धन ब्याज के साथ । बैंक के बी य एन कार्ड में । नहीं जमा कर सकता ।

एफ टी कार्ड के लेन देन के नियम

1. लेन देन के नियम – उदाहरण – माना कि सुरेश का बी कार्ड नं 12345 है । और अली का एफ टी कार्ड नं 67890 है । सुरेश को 1000 रु देना चाहता है । तो अली अपने एफ टी कार्ड में । सुरेश का बी कार्ड नं 12345 + 1000 रु + धन देने की वजह अंकित करेगा । फिर ओके करेगा । तो अली के एफ टी कार्ड से । सुरेश के बी कार्ड में 1000 रु जमा हो जायेंगे ।
2. लेकिन अली । सुरेश के बी कार्ड से । रु - माइनस नहीं कर सकता । क्योंकि एफ टी कार्ड में - माइनस का बटन होगा ही नहीं ।
3. कोई भी विदेशी नागरिक अपनी इच्छा से । दूसरे के कार्ड से धन नहीं ले सकता । जब सामने वाला देगा तभी मिलेगा ।
4. एफ टी कार्ड से सिर्फ । धन दिया जा सकता है । धन मंगाया नहीं जा सकता ।

जीसियो नियम फार्मूला एफ टी कार्ड यानी विदेशी यात्री कार्ड

एफ टी कार्ड का धन जमा बाक्स

1. एफ टी कार्ड में 1 धन जमा बाक्स होगा ।
2. एफ टी कार्ड के धन जमा बाक्स में । कितना भी धन जमा करके । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने से । बिना अपना पर्सनल कोड नं डाले । धन जमा बाक्स नहीं खुलेगा ।
3. एफ टी कार्ड के । धन जमा बाक्स में । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद भी । धन जमा बाक्स में । कितना भी धन जमा किया जा सकता है । जो एफ टी कार्ड में । प्रदर्शित होगा ।
4. एफ टी कार्ड में । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद । कोई दूसरा व्यक्ति । एफ टी कार्ड के धन जमा बाक्स को खोल कर । धन नहीं ले सकता ।
5. एफ टी कार्ड में जमा किया हुआ धन । सिर्फ धन जमा बाक्स में ही जमा होगा । खर्चा बाक्स में जमा नहीं होगा ।

एफ टी कार्ड का खर्चा बाक्स

1. एफ टी कार्ड में 1 खर्चा बाक्स होगा ।
2. एफ टी कार्ड के । खर्चा बाक्स में यदि । 100 रु रखा गया है । तो एफ टी कार्ड से । 100 रु से अधिक खर्चा नहीं होगा । भले ही एफ टी कार्ड के । धन जमा बाक्स में । कितना भी धन जमा हो । यदि एफ टी कार्ड । किसी अन्य ब्यक्ति के हाथ में । 100 रु खर्चा करने के लिए दिया गया हो । तब भी एफ टी कार्ड उपयोगी ब्यक्ति । एफ टी कार्ड के धन जमा बाक्स से । जमा धन की जानकारी भी नहीं ले सकता ।

उदाहरण

1. माना कि सुरेश । बाजार जाने में असमर्थ है । वह रमेश से 100 रु के फल मंगाना चाहता है । तो सुरेश अपने एफ टी कार्ड के खर्चा बाक्स में । 100 रु जमा करके । एफ टी कार्ड । रमेश को देगा । 100 रु के फल लाने के लिए ।
2. तब रमेश बाजार में । सुरेश के एफ टी कार्ड के खर्चा बाक्स से सिर्फ । 100 रु ही खर्चा कर सकता है । भले ही । एफ टी कार्ड के धन जमा बाक्स में । कितना भी धन जमा हो ।
3. और सुरेश के । एफ टी कार्ड के धन जमा बाक्स का धन । सुरक्षित भी रहेगा ।

एफ टी कार्ड नकल सम कार्ड

1. एफ टी कार्ड का नकल सम कार्ड बनेगा ।
2. एफ टी कार्ड का नकल सम कार्ड । विदेशी व्यक्ति के । मदद के लिए उपयुक्त होगा ।

एफ टी कार्ड के नकल सम कार्ड का धन जमा बाक्स

1. एफ टी कार्ड के नकल सम कार्ड में एक धन जमा बाक्स होगा ।

जीसियो नियम फार्मूला एफ टी कार्ड यानी विदेशी यात्री कार्ड

2. एफ टी कार्ड के । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा करके । अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने से । बिना अपना पर्सनल कोड नं डाले । धन जमा बाक्स नहीं खुलेगा ।
3. एफ टी कार्ड के । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने के बाद भी । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा किया जा सकता है । जो एफ टी कार्ड और । नकल सम कार्ड मे प्रदर्शित होगा ।
4. एफ टी कार्ड । य नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद । कोई दूसरा व्यक्ति । एफ टी कार्ड य नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स को खोल कर । धन नहीं ले सकता ।
5. एफ टी कार्ड के । नकल सम कार्ड मे जमा किया हुआ धन । सिर्फ धन जमा बाक्स मे ही । जमा होगा । खर्चा बाक्स मे जमा नहीं होगा ।

एफ टी कार्ड का नकल सम कार्ड का खर्चा बाक्स

1. कार्ड के नकल सम कार्ड मे । 1 खर्चा बाक्स होगा ।
2. कार्ड के नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । यदि 100 रु रखा गया है । तो नकल सम कार्ड से 100 रु से अधिक खर्चा नहीं होगा । भले ही । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो । और नकल सम कार्ड उपयोगी व्यक्ति । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स से । जमा धन की जानकारी भी नहीं ले सकता है ।

उदाहरण

1. माना कि सुरेश । बाजार जाने मे असमर्थ है । वह रमेश से 100 रु के । फल मंगाना चाहता है
2. तो सुरेश । अपने के कार्ड के । नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । 100 रु जमा करके । नकल सम कार्ड । रमेश को देगा । 100 रु के फल लाने के लिए ।
3. तब रमेश बाजार मे । सुरेश के नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स से । सिर्फ 100 रु ही खर्चा कर सकता है । भले ही । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो ।
4. यदि रमेश को बाजार मे । अधिक धन की जरूरत है । तो जब सुरेश । अपने के कार्ड से । अपने सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । धन जमा करेगा । तभी रमेश । सुरेश के सम कार्ड से अधिक धन खर्चा कर सकता है ।
5. यह प्रक्रिया कभी भी की जा सकती है ।
6. तब बाजार जाने मे असमर्थ सुरेश । अपने के कार्ड के । नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । 100 रु जमा करके । रमेश से । 100 रु के फल मंगा सकता है । और सुरेश के धन जमा बाक्स का धन । सुरक्षित भी रहेगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की